

प्रेस नोट 26.04.19

1.दिनांक 25.04.19 को वादी श्री इस्तियाक अली पुत्र आशिफ अली निवासी महिला अस्पताल रोड थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं0 यूपी 42 वी 5598 स्पेलेण्डर प्रो चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 331/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 25.04.19 को वादी श्री पवन कुमार पुत्र जगन्नाथ निवासी पूरे रामरूप का पुरवा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 3562 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे वादी के पिता व मौसा की मृत्यु हो जाना व मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 158/19 धारा 279, 304ए, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 25.04.19 को वादी उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह प्रभारी चौकी हसनू कटरा थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अशोक कोरी पुत्र राम लखन कोरी निवासी 598 लालबाग थाना को0नगर, अयोध्या 2. शिव प्रकाश उर्फ धनीराम वर्मा पुत्र राम हेत वर्मा निवासी कुर्मी टोला रेतिया थाना कैण्ट, अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से कमशः 80-80 लीटर कुल 160 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 159/19 व 160/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 25.04.19 को वादी उ0नि0 श्री धर्मराज सिंह थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामू मॉंझी पुत्र राम भवन मॉंझी निवासी रामपुर हलवारा थाना को0अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 300 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 253/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 25.04.19 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार वर्मा थाना रा0ज0भू0 अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव विशाल तिवारी पुत्र राम दयाल तिवारी निवासी खालेपुरवा रामघाट थाना को0अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रा0ज0भू0 में मु0अ0सं0 41/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 25.04.19 को वादी श्री संजय कुमार शुक्ल (मजिस्ट्रेट उड़न दस्ता) सहायक अभियंता सरयू नहर खण्ड अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. हरीराम रावत पुत्र धनीराम निवासी सुसवाई थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी 2. रवि 3. विशाल वाहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या यूपी 32 जेएन 2308 टाटा जेस्ट कार से 34.200 किलोग्राम डोडा (पोस्ता का छिलका) बरामद होना, मौके से अभि0 हरीराम रावत का गिर0 होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 195/19 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 25.04.19 को वादी उ0नि0 श्री अरुण सिंह थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धर्मेन्द्र पुत्र राम चेत निवासी वन मसईया नन्सा थाना तारून, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 80 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 196/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 25.04.19 को वादी का0 राजकुमार थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रंजीत वर्मा पुत्र राम सिंगारे निवासी डफ्फरपुर थाना गोसाईगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर

कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 127/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

9.दिनांक 25.04.19 को वादी का0 प्रदीप कुमार यादव थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनुज राजभर पुत्र परशुराम निवासी मड़ना थाना महाराजगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना।? जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 155/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

10.दिनांक 25.04.19 को वादी का0 जयबिन्द सिंह थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अर्जुन राजभर पुत्र रामचन्द्र राजभर निवासी बिलास थाना दुबौलिया जनपद बस्ती अभियुक्त के कब्जे से 70 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 156/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

11.दिनांक 25.04.19 को वादी का0 सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पप्पू भारती पुत्र राम जुगुन निवासी तारापुर बनिया का बगिया थाना महाराजगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 157/19 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

12.दिनांक 25.04.19 को वादी उ0नि0 श्री लालधर प्रसाद थाना कुमारगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि फजल पुत्र कल्लू निवासी गुजरन का पुरवा मजरे देवगाँव थाना कुमारगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 88/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

13.दिनांक 25.04.19 को वादी श्री बिपिन कुमार मिश्र पुत्र राम किशोर मिश्र निवासी जखौली थाना पटरंगा, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्रीचन्द यादव निवासी जखौली थाना पटरंगा, अयोध्या आदि 04 नफर अभियुक्तगण द्वारा हमलावर होकर गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 89/19 धारा 352, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।